भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1202
उत्तर देने की तारीख 14 दिसम्बर, 2022

न्यूनतम इंटरनेट गति

1202. **श्री अरुण साव:**
श्री पी. सी. मोहनः
श्री विजय बघेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सेवा प्रदाताओं के लिए कोई न्यूनतम इंटरनेट गति निर्धारित की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इंटरनेट की वर्तमान औसत गति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत दुनिया में सबसे धीमी मोबाइल इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाले देशों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2014 से लेकर अब तक सरकार द्वारा देश में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करने हेतु कोई न्यूनतम इंटरनेट गति निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं द्वारा डाउनलोड इंटरनेट स्पीड का अनुभव कई कारकों यथा नेटवर्क, एंड यूजर डिवाइस, एक्सेस किए जा रहे वेबसाइट आदि पर निर्भर करता है। कतिपय संगठनों ने ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। तथापि ऐसी रिपोर्टें प्रमाणित नहीं की गई हैं।

(ड.) देश में वर्ष 2014 से इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

i. मोबाइल सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराए गए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश में 5जी सेवाएं प्रदान करना शुरु कर दिया है जिनमें अन्य के साथ-साथ इंटरनेट अधिक स्पीड पर उपलब्ध होता है।

ii. एक्सेस सर्विस लाइसेंसों के मध्य स्पेक्ट्रम की शेयरिंग तथा ट्रेडिंग की अनुमति वर्ष 2015 को दी गई।

iii. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने की अनुमति जून, 2022 को दी गई।

iv. वाई-फाई उपयोग के लिए करीब 605 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में वर्ष 2018 में डी-लाइसेंस किया गया है।

v. भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 को भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) तथा अधितल अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है;

vi. दूरसंचार अवसंरचना का त्वरित और सुगम तैनाती के लिए 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तार मार्गाधिकार नियम, 2016 को संशोधित किया गया है। इन संशोधनों ने मौजूदा स्ट्रीट अवसंरचना पर स्मॉल सेल्स तथा तार लाइनों की तैनाती के लिए रास्ता तैयार किया है तथा मार्गाधिकार अनुमतियों के लिए दूरसंचार लाइसेंसों द्वारा भुगतान किए गए शुल्कों तथा प्रभारों को भी युक्तिसंगत बनाया है।

vii. पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल (केंद्रीकृत मार्गाधिकार पोर्टल) मई 2022 में आरंभ किया गया था। यह पोर्टल उच्च स्तरीय निगरानी के लिए ऑनलाइन आवेदनों, प्रक्रियाओं, मंजूरी तथा डेशबार्ड को सुगम बनाता है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ऑनबोर्ड हैं। यह पोर्टल रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एकीकृत है।

viii. भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश में इंटरनेट की उच्च गति के साथ ग्रामपंचायतों (जीपी)/ग्रामों को जोड़ने के लिए नेटवर्क का सृजन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

ix. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरूआत की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 50 एमबीपीएस तक उच्च गति ब्रॉडबैंड प्रदान करने में सक्षम अवसंरचना चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना शामिल है।

x. सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार नेटवर्कों के त्वरित रोल-आउट को सक्षम बनाने के लिए दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल पर स्व-घोषित आधार पर निम्नलिखित प्रक्रियाएं तैयार की गई है:

(क) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वायरलेस उपकरणों का आयात करना

(ख) स्थायी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) टावरों की स्थापना के लिए साइट क्लियरेंस प्राप्त करना

xi. एक्सेस सेवा प्रदाताओं के लिए बेतार प्रचालन लाइसेंसों (डब्ल्यूओएल) को प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

*****